

कार्यालय:- नगरीय पंचायत पीर (भोगपुर)

पत्रांक 738 दिनांक 03/11/2018

लेखा में

वर्षिक लेखा परीक्षा अधिकारी
श्री 0 लेखा 0 नि 0 खाता निरूपण से 01
स्वामीय लेखा परीक्षा 2018/19 पत्रा

A-2
26.11.18

विषय:- निरिक्षण प्रतिवेदन सेल्वा 380/13-14 के अनुपालन के लेखा में

संलग्न:- भव्य पत्रांक 1441/1593 दिनांक 2.2.2018

प्रशिक्षण

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के फालोअप में सहित

सूचित करना है। निरिक्षण प्रतिवेदन सेल्वा 380/13-14 के

अनुपालन सम्बंधित प्रतिवेदन सहित पत्र में तैयार का (आप) 2018

करावर्षी है। मंजूर जा रही है।

श्री 0 लेखा 0 नि 0
26.11.18

विश्वास भजन

कार्यालय परीक्षा अधिकारी
नगरीय पंचायत पीर

पत्रांक 738 दिनांक 03/11/2018

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव नगरीय पंचायत एवं अकाउंट विभाग सि.हा.
पटना के सूचनाई समर्पण।

कार्यालय परीक्षा अधिकारी
नगरीय पंचायत पीर

कार्यालय:- नग्न पंचायत पीठ (अजमेर)

फा. नं. 738 - दिनांक 03/11/2018


सेवा में
वरिय लेखा परिया अधिकारी
श्री 0 लेखा. नि. सामाजिक प्र. से. 01
राज्याय लेखापरिचर 2211/1992/2018

विषय:- निरिशा प्रतिकेन लेख्या 380/13-14 के अनुपालन के लेख में
संशोधन। - भवशय फा. 14511/1593 दिनांक 2.2.2018

प्रथमथ,


उपभुक्त विषयक प्रासंगिक पर के आलोक में सादर
सूचित करना है। निरिशा प्रतिकेन लेख्या 380/13-14 के
अनुपालन सम्बंधित प्रतिकेन विहित प्रपर में तैयार का (आ. 1992) क
करावर्षी हेतु भेजी जा रही है।

विश्वास भजन


कार्यालय के अधिकारी
नग्न पंचायत पीठ

फा. नं. 738, दिनांक 03/11/2018

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव नग्न निराश एव आवास विभाग विहा.
परना के सुचनाय संपर्त।


कार्यालय के अधिकारी
नग्न पंचायत पीठ

क्रम संख्या	कंडिका न०	आपतियां	निरीक्षण प्रतिवेदन 380 /2013-14 अनुपालन प्रतिवेदन नगर पंचायत पीरो
1	8(i)	लेखापाल रोकड़बही में सभी मद का अलग अलग सहायक रोकड़ बही संधारित किया जाता है। सभी मद के राशी का ब्याज को संबंधित मद के रोकड़बही में प्रविष्टी की जाती है। आय वयय विवरणी बनाया जाता है। हाँ तो साक्ष्य प्रस्तुत करें।	उक्त कंडिका के सन्दर्भ में कहना है कि सभी मद का अलग अलग सहायक रोकड़ बही संधारित की जाती है, लेकिन सभी मद की ब्याज की राशी का एक अलग ब्याज सहायक रोकड़ बही संधारित की जाती है। अब वर्तमान में ब्याज की राशी संबंधित मद की रोकड़ बही में दर्ज की जा रही है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
2	8 (II)	प्राप्त राजस्व , 20,22,231 रूपये की राशी संबंधित प्राप्त शीर्ष में लिया गया है। परन्तु बैंक विवरणी खाते में जमा नहीं पाया गया है।	उक्त कंडिका के संबंध में कहना है की प्राप्त राजस्व की राशी का बैंक खाते में जमा पृष्ठ की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
3	8(iii)	प्राप्त राजस्व 5,34,469 रूपये की राशी रोकड़पाल द्वारा कम एवं विलम्ब से जमा किया है। इससे अवगत कराया जाय।	उक्त कंडिका से संबंधित साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
4	9	अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। हाँ तो प्रमाण प्रस्तुत करें।	उक्त कंडिका के सन्दर्भ में कहना है कि सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि कंडिका से विलोपित किया जाय।
5	10	वार्षिक लेखा संधारित किया जा रहा है। हाँ तो अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।	उक्त कंडिका के संबंध में कहना है कि वार्षिक लेखा तैयार किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
6	11	वर्तमान में बजट बनाया जा रहा है। हाँ तो अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।	वर्तमान में 2018-2019 का बजट बनाया गया है, जिसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।



7	12	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 98 के अर्तगत लेखा समिति का गठन नहीं किया गया है।	लेखा समिति का गठन किया जा रहा है।
8	13	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशी रूपये 143779.25 और रूपये 143779.25 को संबंधित शीर्ष में जमा किया गया है। हाँ तो अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशी संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। साक्ष्य की चालान के प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
9	14	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -127 के प्रावधान के अनुसार नगर निकाय राज्य सरकार की स्वीकृति से नगरपालिका क्षेत्र में करों तथा शुल्कों को अधिरोपित करेगी। लेकिन यहाँ कम ज्यादा राजस्व का निवारण समय समय पर नहीं किया गया। इस प्रकार स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व में अनियमिताएं अपनाया गया।	उक्त कंडिका के संबंध में कहना है कि राजस्व बढ़ोतरी के लिए नगर निकाय के द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। अतः अनुरोध है की उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
10	15	सैरात बंदोबस्ती में मुद्रांक शुल्क लिया जाता है। एवं उस राशी को संबंधित शीर्ष में जमा किया जाता है। साक्ष्य प्रस्तुत करें।	उक्त कंडिका के संबंध में कहना है कि सैरात वन्दोवस्ती में मुद्रांक शुल्क संबंधित शीर्ष में जमा किया जाता है साक्ष्य संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
11	16	योजना कार्य में विलम्ब के कारण संबंधित संवेदक से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं किया जाता है।	उक्त कंडिका के सन्दर्भ में कहना है कि योजना कार्य करते समय अनेक सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है जिसका समाधान कारण करने में समय लगा समस्या समाधान के पश्चात कार्य पूर्ण कराया गया जिसमें कुछ विलम्ब हो गया विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
12	17(i)	गैर सरकारी संस्था कृषि एजुकेशनल एंड हेल्थ सेवा संस्थान के भुगतान से संबंधित, पदाधिकारी द्वारा भुगतान का अनुमोदन साक्ष्य प्रस्तुत करें।	गैर सरकारी संस्था कृषि एजुकेशनल एवं हेल्थ सेवा संस्थान को भुगतान पदाधिकारी द्वारा भुगतान की स्वीकृति का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
13	17(ii)	कार्य संतोषजनक होने का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।	वार्ड पार्श्व से उनके वार्ड में सफाई की स्थिति की प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।

Dr. S.

14	17(iii)	वार्ड पार्श्वद द्वारा उनके वार्ड में सफाई किये जाने की वास्तु स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करें।	कार्य संतोषजनक होने की अभिप्रमाणित संलग्न की जाती है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
15	18	फोर्गिंग मशीन के क्रय से संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के समर्थन में विपत्र, कैशमेमो संचिका, मशीन प्राप्ति का प्रमाण, निविदा आमंत्रण सूचना/विज्ञापन की प्रति, भंडार पंजी प्रवृष्टि, उपयोगिता, कार्यरत स्थिति, कार्य क्षमता, इत्यादि का प्रमाण नहीं पाया गया।	उक्त कंडिका से संबंधित साक्ष्य का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
16	19	श्रम शेष कटौती रुपये 115726 की राशी जमा नहीं कराया गया। हाँ तो साक्ष्य प्रस्तुत करें।	श्रमशेष की कटौती की राशी जमा करने की प्रक्रिया में है। जिसकी अभिप्रमाणित प्रति अगले अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
17	20	संबंधित आर्किटेक्ट से पत्राचार किया जा रहा है। साक्ष्य प्रस्तुत करें।	आर्किटेक्ट से पत्राचार किया जा रहा है जिसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है की उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
18	21	दुकान किराया रुपये 233400 की राशी दुकानदारों के पास बकाया था। दुकान किराया से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है।	मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जा रहा है जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः अनुरोध है की उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
19	22	मोबाइल टावर से बकाये रुपये 590000 की राशी का वसूली की करवाई हेतु पत्राचार किया जा रहा। साक्ष्य प्रस्तुत करें।	सभी मोबाइल टावर कंपनी को नोटिस दिया गया है। जिसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय
20	23	सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति से बचने के लिए कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटना। अग्रिम पंजी का लेखा नहीं करना। कारण स्पष्ट करें।	ऑडिट आपत्ति के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य कराने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अग्रिम पंजी का संधारण किया जा रहा है। अतः कंडिका को विलोपित किया जाय।
21	24	सरकार को वापस की गई राशी का प्रमाण प्रस्तुत करें।	उक्त कंडिका के सन्दर्भ में कहना है कि 5 मर्दों की राशी को वापस करने की कारवाई की जा रही है।
22	25	आयकर की कम कटौती संबंधित अभिकर्ता से आयकर की राशी रुपये 11234 वसुनीय है। साक्ष्य प्रस्तुत करें	11,234 रुपयों की वसूली, प्रक्रिया में है जिसे आगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित

Dr.

		I	किया जाय ।
23	26	कुल पांच योजनाओ की राशी रूपये 693850 का संचिका एवं अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया ।	उक्त कंडिका से संबंधित साक्ष्य संलग्न है , अतः अनुरोध है उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय ।
24	27	अंकेक्षण के दौरान निम्न इकाई प्रस्तुत नहीं किया गया । वार्षिक लेखा ,अनुदान पंजी ,योजना पंजी ,बैंक विवरणी ,अभिलेख ,बजट पंजी ,सम्पति पंजी ,स्टॉक रजिस्टर ,रॉयल्टी एवं वैट पंजी	वांछित पंजी अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा । सभी पंजी संधारित की जा रही है ।

Signature